



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01102020-222188  
CG-DL-E-01102020-222188

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 497]  
No. 497]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्टूबर 1, 2020/आश्विन 9, 1942  
NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 1, 2020/ASVINA 9, 1942

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अक्टूबर, 2020

सा.का.नि. 609(अ).—केन्द्रीय सरकार, धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (2003 का 15) की धारा 66 की उपधारा (1) के खंड (ii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान होने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 382(अ), तारीख 27 जून, 2006 द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में, क्रम संख्या (9) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“(10) केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो।”

[फा. सं. पी-12011/8/2020-ईएस सेल-डीओआर]

ऋत्तिक पाण्डेय, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 382(अ), तारीख 27 जून, 2006 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

**MINISTRY OF FINANCE****(Department of Revenue)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 1st October, 2020

**G.S.R. 609(E).**—In exercise of the powers conferred by clause (ii) of sub-section (1) of section 66 of the Prevention of Money-laundering Act, 2002 (15 of 2003), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance, Department of Revenue, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 382(E), dated the 27th June, 2006, namely :-

In the said notification, after serial number (9) and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely :-

“(10) Central Economic Intelligence Bureau.”.

[F. No. P-12011/8/2020-ES Cell-DOR]

RITVIK PANDEY, Jt. Secy.

**Note :** The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 382(E), dated the 27th June, 2006.